[2019] 6 एस. सी. आर. 1035

राजन

वी.

गृह सचिव,

तमिलनाडु और ओ. आर. एस. का गृह विभाग।

(2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 321)

अप्रैल 25,2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

सजा/सजाः

सजा में छूट-याचिकाकर्ता को दंडनीय अपराध के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई थी। 395 आई. पी. सी. और दंडनीय अपराधों के लिए 5 साल के कारावास के लिए। 3/25 (1 ए) शस्त्र अधिनियम-इसके अलावा उन्हें यू/एस एस के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 307

आई. पी. सी. (4 गिनती) और आई. पी. सी. (3 गिनती) और यू/एस। 27 (3) समय से पहले रिहाई के लिए शस्त्र अधिनियम याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वर्ष में स्थानांतरित किया गया

2010 अस्वीकार कर दिया गया-इसके बाद एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया

समय से पहले रिहाई के लिए वर्ष 2018 में-अभ्यावेदन का कोई जवाब नहीं मिलने पर, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका दायर की-आयोजितः धारा 27 (3)

शस्त्र अधिनियम, जिसे अधिकार से बाहर और असंवैधानिक घोषित किया गया है, उसके तहत दोषसिद्धि और सजा को कानून में नहीं माना जा सकता है

प्रतिनिधित्व पर विचार करना-छूट के लिए प्रतिनिधित्व

दंडनीय अपराधों के लिए दी गई सजा s.395 आई. पी. सी. और यू/एस. एस. 3/25 (1 ए) इस पर भी विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही सजा की अवधि से गुजर चुका है-प्रतिनिधित्व पर केवल दंडनीय अपराधों से संबंधित आजीवन कारावास की सजा के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। 302 और 307 आई. पी. सी.-सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को संसाधित करने का निर्देश दिया जाता है।

दंड प्रक्रिया, 1973 एस। 432 और 433।

सजा की माफी-आयोजितः छूट का अनुदान या गैर-अनुदान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यास में प्रयोग किया जाना विशेषाधिकार है। यू/एस. एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का। 432 और Cr.P.C का 433।-यह इसके लिए नहीं है

अदालत उस प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करेगी-दंड प्रक्रिया संहिता,

1973 - एसएस। 432 और 433।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अपराध। हालांकि, * * मुथुरामलिंगम मामले में संविधान पीठ के स्पष्टीकरण को देखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 395 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 (1 ए) के तहत अपराधों के संबंध में सजा को भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई, क्योंकि वह पहले से ही उक्त अपराधों के लिए दी गई सजा अवधि से गुजर चुका है जो समवर्ती रूप से चलने वाले थे। [पैरा 10] [1044-डी-एफ]

** मुथुरामलिंगम और ओआरएस। वी. पुलिस निरीक्षक (2016) 8 एस. सी. सी. 313 द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्वः [2016] 5 एससीआर

30 - पीछा किया।

* पंजाब राज्य बनाम। दलबीर सिंह (2012) 3 एस. सी. सी. 346:

[2012] 4 एससीआर 608-पर निर्भर।

2. किसी भी अपराध के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई छूट या परिवर्त्तन के परिणामस्वरूप अन्य अपराधों के लिए कैदियों को रिहा नहीं किया जाता है जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है और एक मुकदमे में सजा सुनाई गई है। [पैरा 12] [1047-ए]

3. वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को शस्त्र के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है।

ऐसा अधिनियम जिसके परिणामस्वरूप "परामर्श" की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, दोषसिद्धि और सजा में शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के तहत अपराध का संदर्भ, जिसे अधिकार से बाहर और असंवैधानिक घोषित किया गया है; और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 ए) के साथ पठित धारा 3 के तहत अपराध के संबंध में याचिकाकर्ता को दी गई सजा याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई है क्योंकि इसे समवर्ती रूप से चलाया जाना था।

आजीवन कारावास के साथ, इन अपराधों को भी राजन बनाम नहीं माना जा सकता है।

तमिल नाडु और ओआरएस का गृह सचिव, गृह विभाग।

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए। नतीजतन, केंद्र सरकार से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इसी कारण से, केंद्र की उपस्थिति

इस याचिका में सरकार आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर केवल आई. पी. सी. की धारा 302 और 307 के तहत अपराधों से संबंधित आजीवन कारावास की सजा के संदर्भ में विचार किया जाएगा। [पारस 13 और 14] [1047-सी-ई; 1048-डी] 4. याचिकाकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए 3 मामलों और धारा 4 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

307 आई. पी. सी., और जिसके संबंध में उन्हें प्रत्येक मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मामले के उस दृष्टिकोण में, * * मुथुरामलिंगम और * श्रीहरण में व्याख्या को ध्यान में रखते हुए

मामलों में, याचिकाकर्ता समय से पहले रिहा होने में तभी सफल हो सकता है जब सक्षम प्राधिकारी छूट का आदेश पारित करता है

प्रत्येक पर उसे दिए गए सभी सात आजीवन कारावासों के बारे में गिनती करें। लेकिन यह एक ऐसा मामला होगा जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 15] [1048-डी-एफ]

* भारत संघ बनाम। वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य। (2016) 7 एससीसी 1: [2015] 14 एस. सी. आर. 613-संदर्भित।

5. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुदान या छूट का गैर-अनुदान सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विशेषाधिकार है और

समय से पहले रिहाई विशेषाधिकार का विषय नहीं है, बल्कि Cr.P.C की धारा 432 और 433 के संदर्भ में उपयुक्त सरकार को प्रदत्त कर्तव्य के साथ शक्ति है, जिसका उपयोग सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना है। कारक, जैसे कि यह किए गए अपराध की प्रकृति और माफी के प्रभाव को कम नहीं करेगा जो समाज की चिंता के साथ-साथ राज्य सरकार की चिंता भी हो सकती है। यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता को एक ही झटके में सभी मामलों के संबंध में छूट और समय से पहले रिहाई दी जानी चाहिए, धारा 432 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

और Cr.P.C का 433। हम उस पहलू पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं। [पारस

16 और 17] [1048-जी-एच; 1049-ए-बी; डी-एफ]

तमिलनाडु राज्य और अन्य। वी. पी. वीरा भारती

2019 (2) स्केल 225-विशिष्ट।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करने या प्रत्यर्थियों को निर्देश देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। शेष सजा और याचिकाकर्ता को रिहा करें। याचिकाकर्ता, अधिकतम, अपने गुण-दोषों और कानून के अनुसार, 5 फरवरी, 2018 के अपने अभ्यावेदन पर शीघ्रता से विचार करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने की राहत का हकदार है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता का समय से पहले रिहाई का अनुरोध

पहले से ही एक बार विचार किया गया था और राज्य सरकार के सलाहकार बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था

5 फरवरी, 2018 को किए गए अपने नए अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ता। हालाँकि, समय बीतने के साथ, स्थिति में बदलाव आया होगा और विशेष रूप से, क्योंकि अब समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर केवल आजीवन कारावास की सजा के संदर्भ में विचार करना होगा।

आई. पी. सी. की धारा 307 (4 गिनती) और धारा 3 (3 गिनती) के तहत अपराधों के लिए उन्हें कारावास की सजा दी गई। [पैरा 18] [1049-ई-जी; 1050-डी-ई]

7. गृह विभाग द्वारा 1 फरवरी, 2018 को जारी आदेश में दी गई शर्त याचिकाकर्ता को नहीं बनाएगी

अयोग्य क्योंकि उस पर डकैती के अपराध के लिए भी मुकदमा चलाया गया था आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उक्त अपराध के लिए दी गई सजा पहले ही पूरी हो चुकी है

याचिकाकर्ता द्वारा और इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई माफी वर्तमान में क्रमशः आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराधों तक सीमित है, जिसके लिए उसे एक से अधिक मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। [पैरा 19] [1050-ई-जी] 8. सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2018 (अनुलग्नक-पी6) को संसाधित करे और राज्य सरकार द्वारा 14 जून, 2010 के आदेश के माध्यम से पहले के अभ्यावेदन की अस्वीकृति से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार, चार महीने के भीतर इसे तेजी से और अधिमानतः अपने तार्किक अंत तक ले जाए। केंद्र सरकार के साथ परामर्श नहीं किया जाएगा

आवश्यक है और राज्य सरकार को, उपयुक्त सरकार होने के नाते, Cr.P.C की धारा 432 और 433 के संदर्भ में उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किए जाने वाले सभी प्रश्नों को खुला छोड़ दिया जाता है। [पैरा 20] [1050-जी-एच; 1051-ए-बी] राजन बनाम।

तमिल नाडु और ओआरएस का गृह सचिव, गृह विभाग।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 4 एससीआर 608

प्रतिष्ठित

पै

रा 6

[2016] 5 एससीआर 30

पीछा किया।

पै

रा 10

[2015] 14 एससीआर 613

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

2019 (2) स्केल 225

प्रतिष्ठित

पै

रा 17

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका

(आपराधिक) 2018 की सं. 321।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , के. परी वेंधन, सिद्धार्थ अय्यर, एकलव्य, सुश्री संसृति पाठक, प्रभु रामसुब्रमण्यन, अधिवक्ता। के लिए

याचिकाकर्ता।

एम. योगेश कन्ना, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका को अन्य बातों के साथ प्राथमिकता दी गई है जिसमें याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई की मांग की गई है क्योंकि वह पहले ही 30 साल से अधिक के वास्तविक कारावास से गुजर चुका है। छूट के साथ, कुल सजा 36 साल से अधिक है। 2. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह श्रीलंका का शरणार्थी है। 27 तारीख को किए गए एक अपराध के संबंध में उन्हें आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

जुलाई, 1988 में, थानिपडी पुलिस स्टेशन में अपराध No.104/88 में प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि याचिकाकर्ता ने सह आरोपी के साथ मिलकर एक पिचाईकारा ग्राउंडर के घर पर डकैती की और जब वह एक मारुति वैन में भागने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस और आम जनता ने एक अवरोधक लगा दिया, जिस पर याचिकाकर्ता ने एक मशीन गन से गोलीबारी की, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। याचिकाकर्ता पर आई. पी. सी. की धारा 120 (बी), 395,353,506 (2), 303 (3), 307 (4), आई. पी. सी. की धारा 302 आर/डब्ल्यू 419, आई. पी. सी. की धारा 307 आर/डब्ल्यू 149 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 ए), 27 (3) और 28 के साथ पठित धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था। जिला द्वारा पूर्ण परीक्षण के बाद और

सत्र न्यायाधीश, तिरुवन्नमलाई, उपरोक्त अपराधों के लिए, 25 जनवरी, 2007 के निर्णय और आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता [2019] 6 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 395,302 (3 गिनती), 307 (4 गिनती) और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 ए) और 27 (3) के साथ पठित धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और 7 साल की कठोर सजा सुनाई गई।

आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कारावास, प्रत्येक गणना के लिए आई. पी. सी. की धारा 307 (4 गिनती) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और अपराध के लिए मृत्युदंड भी दिया गया।

भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 ए) के साथ पठित धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए धारा 242 (3 गणना) और आगे 5 साल के कारावास के तहत दंडनीय। याचिकाकर्ता को दी गई सजा को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय की आलोचना की थी।

मद्रास में न्यायिक न्यायालय, 2007 की आपराधिक अपील संख्या 653 के माध्यम से, जिसकी सुनवाई मृत्यु संदर्भ मामला संख्या 3/2007 के साथ की गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने 26 फरवरी, 2008 के निर्णय और आदेश द्वारा संबंधित अपराधों के लिए निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा की पुष्टि की, लेकिन 3 मामलों में से प्रत्येक में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। उच्च न्यायालय के फैसले को अंतिम रूप मिल गया है।

4. चूंकि याचिकाकर्ता को एक के लिए वास्तविक सजा सुनाई गई थी

काफी लंबे समय तक उन्होंने समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन किया। उस प्रतिनिधित्व पर 20 तारीख को आयोजित सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया गया था

जनवरी, 2010, लेकिन सलाहकार मंडल की राय में दर्ज कारणों के लिए अस्वीकार कर दिया गया। राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर विधिवत विचार किया गया और 14 जून, 2010 के आदेश के अनुसार समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।

बीयरिंग जीओ (डी) 6033। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने लगभग 8 वर्षों के अंतराल के बाद, एक बार फिर 5 फरवरी, 2018 को अपनी समय से पहले रिहाई के लिए एक और अभ्यावेदन दिया, जो इस प्रकार हैः

" अनुलग्नक

पी/6
तारीखः 05.02.2018

सबसे जरूरी

को।

1. गृह सचिव,

तमिलनाडु का गृह विभाग,

सचिवालय, सेंट जॉर्ज किला, चेन्नई।

एजेएएन वी. गृह सचिव, गृह विभाग तमिल नाडु और हमारा। [ए. एम. खानविल्का

2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और जेल महानिरीक्षक, वैनल्स रोड, एग्मोर,

चेन्नई-600008।

3. जेल उप महानिरीक्षक, वेल्लोर रेंज, वेल्लोर।

4. जेल अधीक्षक, वेल्लोर केंद्रीय जेल,

वेल्लोर।

से

राजन,

दोषी नं. वर्तमान में वे वेल्लोर केंद्रीय कारागार, वेल्लोर में बंद हैं।

और,

यूबीः री. भारत रत्न के वीर के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की रिहाई के लिए मांगी गई सूची में मेरा नाम शामिल करना, पुरात्वी थलाइवर Dr.M.G. रमाद प्रति जी. ओ. सुश्री No.64, गृह (प्री IV) विभाग। , डी. 01.0 ई. एफ.

1. एलआर। पीआर के महानिरीक्षक का कार्यालय

No.4369/पीएस 1/2018-1, Dt.02.02.2018।

2. पंजाब राज्य बनाम दलबीर सिंह-2012 (3)

मैं कई वर्षों से वेल्लोर केंद्रीय जेल में बंद एक आजीवन कैदी हूँ। मुझे ट्राइ द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई 25.01.2007 और संप्रदाय और शस्त्र अधिनियम के 27 (3) के तहत मृत्युदंड दिया। इसके बाद आई. डी. 1 को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा गया।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह ध्यान देने योग्य है कि पंजाब राज्य बनाम दलबीर सिंह-2012 (3) एस. सी. सी. 346 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) को असंवैधानिक करार देते हुए अमान्य घोषित कर दिया। इसलिए मेरा दोषसिद्धि अब केवल आई. पी. सी. की धारा 302 पर बनी हुई है।

चूंकि मैं लगभग 30 वर्षों से जेल में हूं, इसलिए मेरा नाम आई. जी. जेल द्वारा मांगी गई सूची में शामिल किया जा सकता है।

समय से पहले रिहाई। कृपया अपने दयालु अवलोकन के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले को संलग्न करें।

आभार व्यक्त करते हुए,

आपकी वफादारी से,

राजन

एन. सी.

1. उच्च न्यायालय का निर्णय डी. 26.02.2008 .

2. 2012 (3) एससीसी 346 "

5. चूंकि याचिकाकर्ता को उक्त का कोई जवाब नहीं मिला

भेजे जाने पर, उन्होंने निम्नलिखित राहतों के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर कीः

" प्रार्थना करें

जहाँ तक, याचिकाकर्ता सबसे विनम्रता से प्रार्थना करता है कि यह माननीय

न्यायालय को खुशी होगीः ए) एक उपयुक्त रिट या आदेश पारित करें जो जारी करने का निर्देश देता है

ख) घोषित करें कि आजीवन कारावास की सजा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के तहत याचिकाकर्ता अमान्य है।

और/या,

ग) वैकल्पिक रूप से उत्तरदाताओं को शेष राशि भेजने का निर्देश दें।

सजा सुनाएँ और याचिकाकर्ता पर विचार करके उसे रिहा कर दें

प्रतिनिधित्व दिनांक 05.02.2018 जबकि यह वर्तमान याचिका है

इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।

घ) ऐसा कोई अन्य आदेश या आदेश पारित करें जो उचित समझा जाए और

उचित "। राजन वी.

तमिल नाडु और ओआरएस का गृह सचिव, गृह विभाग। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

6. उपरोक्त राहतों के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने लिखित याचिका (आपराधिक) में इस न्यायालय के हाल के गैर-सूचित निर्णय पर भरोसा किया है।

2016 का No.61, राम सेवक बनाम के मामले में। उत्तर राज्य प्रदेश ने 11 अक्टूबर, 2018 को यह तर्क देने का फैसला किया कि वह पहले ही 30 साल के वास्तविक कारावास से गुजर चुका है और छूट के साथ, कुल

उसके द्वारा दी गई सजा 36 वर्ष से अधिक होगी, जो याचिकाकर्ता द्वारा गैर-सूचित निर्णय (जिसमें यह केवल 29 वर्ष का कारावास था) में दी गई अवधि से बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय, पंजाब राज्य बनाम दलबीर सिंह, 1 के मामले में पहले ही भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) को असंवैधानिक के रूप में खारिज कर चुका है, और इसके परिणामस्वरूप, उक्त अपराध के लिए याचिकाकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और सजा को अब और नहीं माना जा सकता है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि वह वर्तमान में केवल आई. पी. सी. की धारा 302 और 307 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिन पर एक मुकदमे में मुकदमा चलाया गया था। जहाँ तक शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 ए) और आई. पी. सी. की धारा 395 के साथ पठित धारा 3 के तहत शेष अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि और सजा का संबंध है, याचिकाकर्ता पहले ही वही सजा भुगत चुका है जो उन अपराधों के लिए सजा को चलाने का निर्देश दिया गया था।

साथ-साथ।

7. याचिकाकर्ता की शिकायत है कि सक्षम प्राधिकारी

राज्य सरकार 5 फरवरी, 2018 को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को अस्पष्ट कारणों से संसाधित करने में विफल रही है, जो कानून के अधिदेश के अनुसार जल्द से जल्द अवसर पर निर्णय लेने के लिए बाध्य थी।

8. इस रिट याचिका का उत्तरदाताओं ने विरोध किया है। अ.

वर्तमान रिट याचिका का विरोध करने के लिए सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, चेन्नई, डॉ. निरंजन मार्डी का हलफनामा दायर किया गया है। प्रतिवादियों के अनुसार, याचिकाकर्ता एक बहुत ही गंभीर अपराध में शामिल था और उसे दोषी ठहराया गया है

और कई मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। याचिकाकर्ता के मामले पर 20 जनवरी, 2010 को सलाहकार बोर्ड द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी विधिवत विचार किया गया था, जिसने अंततः 30 जून, 2010 के आदेश के माध्यम से प्रस्ताव को खारिज कर दिया। राज्य द्वारा प्रारंभिक आपत्ति ली गई है कि केंद्र सरकार एक आवश्यक पक्ष है, क्योंकि समय से पहले रिहाई का अनुरोध निम्नलिखित के संबंध में है - शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध। उस अनुरोध पर निर्णय लेना होगा

1 (2012) 3 एससीसी 346 [2019] 6 एस. सी. आर.

केवल केंद्र सरकार के परामर्श से राज्य। उत्तरदाताओं ने तब राज्य द्वारा 1 फरवरी, 2018 और 3 मई, 2018 को जारी किए गए हाल के परिपत्रों को कैदियों की समय से पहले रिहाई के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए स्वीकार किया है। इसके अनुसार

प्रत्यर्थियों, याचिकाकर्ता समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र नहीं है। यह भी कहा जाता है कि याचिकाकर्ता एके-47 मशीनगन का उपयोग करके डकैती और अंधाधुंध गोलीबारी के गंभीर अपराधों में लिप्त था और इसलिए, याचिकाकर्ता को कोई संलिप्तता नहीं दिखाई जानी चाहिए क्योंकि उसे क्रमशः धारा 302 (3 मामलों में) और धारा 307 (4 मामलों में) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

9. हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी और उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वकील श्री एम. योगेश कन्ना को सुना है।

कारावास, और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27 (3) के साथ पठित धारा 3 के तहत भी कठोर कारावास की सजा के साथ उक्त अपराधों के लिए 5 वर्ष की अवधि। हालाँकि, मुथुरामलिंगम और ओआरएस में संविधान पीठ की व्याख्या को देखते हुए। बनाम राज्य

पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत, हमें याचिकाकर्ता के इस रुख को तुरंत स्वीकार करना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 395 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 (1ए) के तहत अपराधों के संबंध में सजा को भी समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

11. वास्तव में, प्रत्यर्थियों के वकील ने हमें यह समझाने का पुरजोर प्रयास किया कि उक्त वाक्यों को भी इसमें शामिल करना होगा। समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए और उस मामले में, केंद्र सरकार के साथ परामर्श अपरिहार्य होगा। हम इस प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हैं। क्योंकि, पारित किए गए संशोधित सजा आदेश के साथ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर

तमिल नाडु और ओआरएस का गृह सचिव, गृह विभाग। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ई उच्च न्यायालय, यह निर्विवाद है कि अपराधों के लिए सजा

आई. पी. सी. की धारा 395 और धारा 25 (1 ए) के साथ पठित धारा 3 के तहत दंडनीय

ई शस्त्र अधिनियम, समवर्ती रूप से चलना था। याचिकाकर्ता पहले ही

समाप्ति पर उक्त अपराधों के संबंध में दी गई सजा

कान और 5 साल, क्रमशः। इस स्थिति से प्रबलित किया जाता है

मुथुरामलिंगम (ऊपर) में संविधान पीठ का गठन। यह.

पैराग्राफ 23 और निष्कर्ष को पैराग्राफ में पुनः पेश करने के लिए उपयोगी होगा

35 उक्त निर्णय का, जो इस प्रकार हैः

" 23. संसद, यह धारा 427 (2) के प्रावधानों से प्रकट होता है।

सी. आर. पी. सी., विसंगति से पूरी तरह से अवगत था जो उत्पन्न होगी यदि

आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी को निर्देशित किया जाता है

ऐसा दो बार करें। इसलिए, इसने एक अपवाद बनाया है

सामान्य नियम स्पष्ट रूप से यह पहचानने के लिए कि आजीवन कारावास के मामले में

दो अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग मुकदमा चलाया गया और साबित किया गया वाक्यों को लगातार चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। प्रावधान

सी. आर. पी. सी. की धारा 427 (2) के अलावा, रंजीत सिंह मामले 3 में, यह न्यायालय

शर्तों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी का शेष जीवन, लगातार आजीवन कारावास

इसे सम्मानित नहीं किया जा सकता क्योंकि मनुष्यों का केवल एक ही जीवन है। उस तर्क में,

हमारा विचार, धारा 31 सी. आर. पी. सी. तक भी विस्तारित होना चाहिए, चाहे कोई भी धारा हो।

31 शब्दों में धारा 427 (2) के अनुरूप प्रावधान नहीं करता है।

कोड से। हमारी राय में प्रावधान ऐसा होना चाहिए।

किसी भी विसंगति या तर्कहीनता को रोकने के लिए व्याख्या की गई। तो।

व्याख्या की गई धारा 31 (1) सी. आर. पी. सी. का अर्थ होना चाहिए कि वाक्य

द्वारा किए गए कई अपराधों के लिए अदालत द्वारा सम्मानित

कैदी लगातार चलेगा (जब तक कि अदालत

अन्यथा निर्देश देता है) सिवाय इसके कि जहां ऐसे वाक्य शामिल हों

आजीवन कारावास जो समवर्ती रूप से चल सकता है और होना भी चाहिए।

हम यह भी मानते हैं कि अगर एक से अधिक जीवन

कैदी को सजा दी जाती है, वही मिलेगा

एक-दूसरे पर अधिरोपित। इसका मतलब यह होगा कि मामले में

कैदी को किसी भी छूट का लाभ दिया जाता है या

इस तरह के एक वाक्य के लिए परिवर्तन, इस तरह के लाभ

वास्तव में छूट दूसरे पर लागू नहीं होगी।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

34. अंत में, इस प्रश्न का हमारा उत्तर नकारात्मक है।

हमारा मानना है कि कई हत्याओं या आजीवन कारावास से दंडनीय अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास के लिए कई सजाएं दी जा सकती हैं, लेकिन इस तरह दी गई आजीवन कारावास की सजा को लगातार चलाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। ऐसे वाक्य होंगे,

इसलिए, वैध रूप से निर्देश दें कि कैदी को अपनी आजीवन कारावास की सजा शुरू होने से पहले अवधि की सजा भुगतनी होगी। ऐसा निर्देश पूरी तरह से वैध होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के अनुरूप होगा। हालाँकि इसके विपरीत सच नहीं हो सकता है क्योंकि यदि अदालत आजीवन कारावास की सजा को पहले शुरू करने का निर्देश देती है तो इसका मतलब यह होगा कि सजा की अवधि साथ-साथ चलती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब कैदी अपना जीवन जेल में बिताता है, तो उसकी आगे की सजा का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे वह हो या नहीं

किसी भी संशोधन या परिवर्तन के लिए न्यायालय का निर्देश एक ऐसा मामला है जिससे हम संबंधित नहीं हैं। अपीलों की सुनवाई करने वाली नियमित पीठ पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमने जो कहा है, उसके संबंध में मामले के उस पहलू पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(जोर दिया गया)

राजन वी. तमिल नाडु और ओआरएस का गृह सचिव, गृह विभाग। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

12. यह निर्णय इस प्रस्ताव पर भी एक प्राधिकरण है कि किसी भी एक के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई छूट या परिवर्तन

अपराधों के परिणामस्वरूप अन्य अपराधों के लिए कैदियों को रिहा नहीं किया जाता है जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है और एक मुकदमे में सजा सुनाई गई है।

धारा के साथ पठित धारा 3 के तहत अपराध के संबंध में याचिकाकर्ता 25 (1 ए) शस्त्र अधिनियम का याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका है क्योंकि इसे आजीवन कारावास के साथ-साथ चलाया जाना था, यहां तक कि इन अपराधों को भी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए नहीं माना जा सकता है। नतीजतन, केंद्र से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी

सरकार और इसी कारण से, इस याचिका में केंद्र सरकार की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

14. हम उपयोगी रूप से न्यायमूर्ति उदय यू. ललित के एक अलग फैसले में इस उक्ति का विज्ञापन कर सकते हैं, हालांकि प्रमुख राय से सहमत हैं -

न्यायमूर्ति कलीफुल्ला, मुद्दा संख्या (vii) पर, जैसा कि पैराग्राफ 215 में उल्लेख किया गया है, निम्नानुसार हैः

" 215. तत्काल मामले में इस न्यायालय द्वारा राज्य v में पारित आदेश के अनुसार। नलिनी 3, प्रतिवादी दोषियों को टाडा की धारा 3 (3), 3 (4) और 5 के तहत दंडनीय अपराधों से बरी कर दिया गया था।

एक्ट करें। विभिन्न केंद्रीय कानूनों के तहत उनकी सजा

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी

एक्ट और वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट सभी कम के लिए थे।

उस तारीख को कौन से वाक्य पारित किए गए हैं।

नतीजतन, किसी की तलाश करने का कोई कारण या अवसर नहीं है।

उन मामलों में सजाओं में छूट या उनका लघुकरण। आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत केवल एक सजा बची है।

जो आजीवन कारावास है। श्री राकेश द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 303 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित आई. पी. सी. के अध्याय XVI में आती है। उनकी प्रस्तुति में, आई. पी. सी. की धारा 299 से 377 में "सार्वजनिक व्यवस्था" से सीधे संबंधित मामले शामिल हैं जो सूची II प्रविष्टि 1 में शामिल हैं। यह राज्य के अनन्य कार्यकारी क्षेत्र में है। सरकार, राज्य सरकार उपयुक्त सरकार होगी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि यह मानते हुए कि आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 302 भारतीय दंड संहिता का हिस्सा होने के कारण सूची 3 की प्रविष्टि 1 से संबंधित है, तब यह मुद्दा उठ सकता है कि क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उपयुक्त सरकार होगी और इस मुद्दे को हल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 73 और 162 के प्रावधानों का सहारा लेना होगा।

इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर केवल आजीवन कारावास की सजा के संदर्भ में विचार किया जाएगा। आई. पी. सी. की धारा 302 और 307 के तहत अपराधों से संबंधित कारावास,

क्रमशः।

15. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए 3 मामलों और अपराध के लिए 4 मामलों में दोषी ठहराया गया है।

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत, और जिसके संबंध में उन्हें प्रत्येक मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मामले के उस दृष्टिकोण में, मुथुरामलिंगम (ऊपर) और श्रीहरण (ऊपर) में दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता समय से पहले रिहा होने में तभी सफल हो सकता है जब सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उसे दी गई सभी सात आजीवन कारावास की सजा के संबंध में माफी का आदेश पारित करे। लेकिन यह एक ऐसा मामला होगा जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

16. तथापि, याचिकाकर्ता यह तर्क देने के लिए कि यह न्यायालय राम सेवक (उपरोक्त) में इस न्यायालय के अप्रकाशित निर्णय पर भरोसा करेगा कि

अधिकारियों को याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करने का निर्देश दें और यह कि राज्य द्वारा आगे विचार करने का निर्देश देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही 30 साल से अधिक की सजा और 36 साल से अधिक की छूट के साथ गुजर चुका है। राम सेवक (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से उस मामले के तथ्यों में है। वास्तव में, यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है

अब तक उस अनुदान या छूट का गैर-अनुदान होना विशेषाधिकार है

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाता है और उस प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करना न्यायालय का काम नहीं है। वास्तव में, समय से पहले रिहाई का अनुदान विशेषाधिकार का विषय नहीं है, बल्कि उचित राजन v को प्रदत्त कर्तव्य के साथ शक्ति है।

तमिल नाडु और ओआरएस का गृह सचिव, गृह विभाग। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

Cr.P.C की धारा 432 और 433 के संदर्भ में सरकार का उपयोग सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

कारक, जैसे कि यह किए गए अपराध की प्रकृति और माफी के प्रभाव को कम नहीं करेगा जो समाज की चिंता के साथ-साथ राज्य सरकार की चिंता भी हो सकती है। 17. याचिकाकर्ता तब तमिलनाडु राज्य में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले और अन्य पर भरोसा करेगा। बनाम पी. वीरा भारती।

विशेष रूप से, इस मामले में, प्रतिवादी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और आई. पी. सी. की धारा 376 और 396 के तहत भी दोषी ठहराया गया था और 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। चूंकि दोनों सजाएं एक साथ चलनी थीं, इसलिए प्रतिवादी ने दावा किया था कि वह तमिलनाडु जेल नियम, 1983 के नियम 341 को लागू करके 16 साल से अधिक समय तक वास्तविक सजा भुगतने के बाद समय से पहले रिहा होने का हकदार था। हालाँकि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है। धारा 302 (3 गणना) और धारा 307 (4 गणना) के तहत अपराध के लिए और प्रत्येक गणना पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता को एक ही झटके में सभी मामलों के संबंध में छूट और समय से पहले रिहाई दी जानी चाहिए, एक ऐसा मामला है जिस पर उपयुक्त सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुए विचार किया जाना चाहिए।

Cr.P.C की धारा 432 और 433। हम उस पहलू पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं।

18. इस प्रकार समझा जाए तो हम याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश देने के लिए दावा की गई राहत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

उत्तरदाताओं को तुरंत शेष सजा को माफ करने और याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश देना। याचिकाकर्ता, सबसे अच्छा, उत्तरदाताओं को उनके बारे में विचार करने के लिए निर्देश जारी करने की राहत का हकदार है।

दिनांक 5 फरवरी, 2018 का अभ्यावेदन, अपने गुण-दोषों के आधार पर और कानून के अनुसार शीघ्रता से। यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने व्यक्त किया है

याचिकाकर्ता के दावे के गुण-दोष पर कोई भी राय। तथ्य यह है कि समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर पहले ही एक बार विचार किया जा चुका था और राज्य के सलाहकार बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया था

हमारी राय में, सरकार को 5 फरवरी, 2018 को किए गए अपने नए अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सलाहकार बोर्ड की राय केवल परिवीक्षा अधिकारी, मदुरै और जिला कलेक्टर, मदुरै की नकारात्मक सिफारिश को संदर्भित करती है। राज्य सरकार द्वारा बताए गए अतिरिक्त कारण इस प्रकार प्रतीत होते हैंः

62019 (2) स्केल 225 (2019 की आपराधिक अपील No.120 का निर्णय 22 जनवरी, 2019 को लिया गया)

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 4) 20.01.2010 पर आयोजित सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही है

इस प्रकार हैः

आई. मामले की सुनवाई की जाती है और संबंधित अभिलेखों की जांच की जाती है। आरोपी श्रीलंकाई नागरिक है और विशेष शिविर में बंद है।

इस गंभीर अपराध के करने से पहले चेंगलपेट में।

ii. मदुरै के परिवीक्षा अधिकारी और मदुरै के जिला कलेक्टर ने समय से पहले रिहाई की सिफारिश नहीं की है।
iii. इसके अलावा इस कैदी ने अपने कृत्य के लिए पश्चाताप नहीं किया है,

iv. समय से पहले रिहाई की याचिका 'अनुशंसित नहीं' है।

5) सरकार सावधानीपूर्वक जाँच के बाद स्वीकार करती है सलाहकार बोर्ड, वेल्लोर की सिफारिश और आजीवन कारावास के दोषी राजन एस/ओ रॉबिन की समय से पहले रिहाई।

केंद्रीय कारागार, वेल्लोर को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

हालाँकि, समय बीतने के साथ, स्थिति में बदलाव आया होगा और विशेष रूप से, क्योंकि अब समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर केवल धारा 302 (3 गिनती) और धारा 307 (4) के तहत अपराधों के लिए उसे दिए गए आजीवन कारावास की सजा के संदर्भ में विचार करना होगा।

क्रमशः आई. पी. सी. की गणना)।

19. प्रतिवादियों का यह तर्क कि गृह विभाग द्वारा 1 फरवरी, 2018 को जारी आदेश में दी गई शर्त याचिकाकर्ता को अयोग्य बना देगी क्योंकि उस पर धारा 395 के तहत दंडनीय डकैती के अपराध के लिए भी मुकदमा चलाया गया था, हमें इस तथ्य पर विचार करते हुए हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त अपराध के लिए दी गई सजा याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई है और इस प्रकार आजीवन कारावास की सजा में छूट के लिए प्रतिनिधित्व तय करने के उद्देश्यों के लिए गणना नहीं की जा सकती है। और क्रमशः धारा 302 और 307 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में समय से पहले रिहाई के लिए। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई छूट वर्तमान में क्रमशः धारा 302 और 307 के तहत दंडनीय अपराधों तक सीमित है, जिसके लिए उसे एक से अधिक मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

20. इसलिए हम याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को संसाधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देने के साथ इस याचिका का निपटारा करते हैं। दिनांक 5 फरवरी, 2018 (अनुलग्नक-पी6) और इसे 1051 के कानून, ए. आर. वाई., गृह विभाग के अनुसार चार महीने के भीतर तेजी से और अधिमानतः अपने तार्किक अंत तक ले जाएं।

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

राज्य सरकार के पूर्व प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया। हम यह भी मानते हैं कि सरकार की आवश्यकता नहीं होगी।उपयुक्त सरकार को धारा 432 और 433 के संदर्भ में उपयुक्त सरकार बी द्वारा शासित होना चाहिए।

तदनुसार प्रस्तुत किया गया। सभी लंबित हैं।

याचिका का निपटारा किया गया।